**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0,13 वाराणसी**

**प्रथम जमानत आवेदन पत्र संख्याः 5556सन् 2022 ई.**

उपस्थितः मनोज कुमार सिंह–II- (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code-UP06367

सी0एन0आर0 नम्बर यू0पी0वी0आर01012775–2022

1– विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी पुत्र भरत लाल निवासी मकान नं0 स025/246 सरसौली , भोजूबीर थाना कैण्ट वाराणसी।

2– विशाल प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रजापति निवासी ब्लाक नं0–80 कमरा नम्बर– 3 काशीराम आवास थाना– शिवपुर जिला– वाराणसी।

..... **अभियुक्तगण।**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य . ..... **.अभियोजन पक्ष ।**

मु0अ0सं0 137/2022
धारा– 392, 411 भा0 दं0 संहिता
थाना–सारनाथ
जिला– वाराणसी।

---

**05–01–2023**

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी पुत्र भरत लाल व विशाल प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रजापति के द्वारा मु0 अ0 सं0137 सन् 2022 धारा 392, 411 भा0 दं0 संहिता थाना– सारनाथ जिला वाराणसी के मामले में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र अंकित पत्नी विशाल कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र में कहे गये कथनों को तसदीक किया गया है तथा यह कथन किया गया है कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में लम्बित नही है।

अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में दिनांक 04–08–2022 को अपर सिविल जज जू0डि0/ एफ0टी0सी0 न्यायालय संख्या– 1 वाराणसी द्वारा निरस्त किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक 15–04–2022 को वादी मुकदमा शशिकान्त तिवारी कैण्ट रेलवे स्टेशन से आटो पकड़कर आ रहा था कि सूरभि होटल के आगे पेट्रोल पम्प के सामने एक अज्ञात व्यक्ति मोटर साईकिल से आया और उसका

बैग छीनकर भाग गया जिसमें एक मंगलसूत्र व कुछ पैसे व कागजात था वादी के लिखित तहरीर पर थाना सारनाथ वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–137/2022 धारा 392 भा0 दं0 संहिता विरूद्व विरूद्व अज्ञात में पंजीकृत कराया गया।

बादहू तफतीश दिनांक29–07–2022 को उपनिरीक्षक राजकुमार पान्डेय मय हमराह पुलिस कर्मचारियों के साथ विनावर देखभाल क्षेत्र पर मौजूद थे कि जहॉ पर मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि दो बदमाश इमलिया तिराहे पर मौजूद हैं, यह वही बदमाश है जो विडियो फूटेज दिखाकर पूछताछ व तलाश कर रहे हैं अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके मौके पर ही उपनिरीक्षक सुनील कुमार चौकर प्रभारी अर्दली बाजार को सूचित किया गया जो हमरीाह कॉ0के साथ उपस्थित आये। जहॉ से मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताये गये स्थान के कुछ दूर पहले मुखबिर द्वारा संदिग्धों की तरफ इशारा करके बताया गया कि जो नीले रंग की मोटर साईकिल खड़ी है, वही व्यक्ति है तथा मुखबिर हट गया। मुखबिर खास द्वारा बताये गये व्यक्ति की ओग आगे बढे तो वह मोटर साईकिल स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया कि वे लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़े जिन्हें पुलिस वालों द्वारा मौके पर घेर घारकर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जमा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी, दूसरे ने अपना नाम विशाल प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रतापति बताया। अभियुक्तगण की जमा तलाशी में एक पीला धातू का टूकड़ा व मोटर साईकिल बरामद की गयी। अभियुक्तगण को उनका अपराध बताकर समय 20:40 बजे हिरासत पुलिस तथा बरामद माल को कब्जा पुलिस मे लिया गया। दौरान गिरफतारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। फर्द मौंके पर टार्च की रोशनी में लिखकर पढकर सुनाकर सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। फर्द की प्रति अभियुक्तगण को दी गयी।उक्त बरामदगी के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा कायम किया गया ।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि वह निर्दोष है । उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप बेबुनियाद है । अभियुक्त के कब्जे से गलत बरामदगी दिखायी गयी है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। अभियुक्तगण की तरफ से यह भी कहा गया है कि फर्जी बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया है। अतः उन्हे जमानत पर रिहा किया जाय ।

आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र पर राज्य के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध किया गया और यह कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है । अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय ।

**उभय पक्षों को सविस्तारपूर्वक सुना तथा सम्पूर्ण प्रपत्रों का अवलोकन किया ।**

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप मजिस्ट्रेट ट्रायल है।अभियुक्तगण का नाम प्रस्तुत प्रकरण में अज्ञात में दर्ज है ।,एफ0आई0 आर0 मे ंवर्णित नहीं

है कि मंगलसूत्र किस धातू का था तथा पैसे लगभग कितने थे जो कि छिने गये थे। घटना के दौरान अभियुक्तगण ने कोई मारपीट की हो या कोई असलहा इस्तेमाल किया हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का जो आपराधिक इतिहास पेश किया गया है उसमें से दो मुकदमें वर्ष 2020 के है शेष सभी वर्ष 2022 के मुकदमें है जिसमे से कोई भी अपराध जघन्य प्रकृति का नही है। अभियुक्त पॉच माह से अधिक समय से जेल में निरूद्व है। अतएव गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थतियों पर सम्यक रूप से विचारोंपरान्त आवेदक / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में बताया गया आधार उचित एवं पर्याप्त है तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदकगण/अभियुक्तगण विशाल कुमार उर्फ बाबू बीड़ी पुत्र भरत लाल व विशाल प्रजापति पुत्र लक्ष्मी प्रजापति का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र—5556/2022 मुकदमा अ0सं0 137/2022 धारा 392, 411 भा0 दं0 संहिता थाना—सारनाथ जिला वाराणसी स्वीकार किया जाता है । आवेदक/अभियुक्त को एक लाख रूपये की पी0 बी0 एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर तथा इस आशय की अन्डरटेंकिग दिये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाय कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा आरोप, साक्ष्य एवं धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप स्रे उपस्थित होता रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नही लेगा।

दिनांक 05—01—2023

(मनोज कुमार सिंह II)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 13 वाराणसी ।
J.O.Code-UP06367

Steno-Dinesh .kumar Singh.